The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

A Serious & Genuine Institute For UPSC & BPSC

DAILY CURRENT AFFAIRS
For UPSC/BPSC

DATE : 11-07-2024

NOTE : Collect FREE copy of Monthly Current Afairs Magazine From our Centre

+91-84349 31877, +91-72506 67974

www.achieversiaspatna.co.in

achieversiaspatna@gmail.com

Orchid Mall, Boring Road (Opp: A.N. College) Patna 800001

पश्चिम बंगाल में सीबीआई के खिलाफ दायर मुकदमे में उसकी योग्यता की जांच की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल द्वारा दायर मूल मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र पर "संवैधानिक अतिक्रमण" और राज्य की पूर्व सहमति के बिना सीबीआई को एकतरफा तरीके से नियुक्त करके संघवाद का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

जस्टिस संदीप मेहता और बी.आर.गवई की पीठ ने केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसे गलत तरीके से प्रतिवादी बनाया गया है, क्योंकि वह सीबीआई को नियंत्रित नहीं करती है, जो एक "स्वतंत्र एजेंसी" है।

"शक्तियों का बहुत ही स्थापना प्रयोग, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, डीएसपीई का अधीक्षण, सभी भारत सरकार के पास निहित हैं।" न्यायमूर्ति गवई ने फैसले को अधिकृत करते हुए कहा।

"डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में डीएसपीई का अधीक्षण केंद्र सरकार के पास निहित होगा।" न्यायमूर्ति गवई ने कहा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई ने राज्य में कई ऐसे मामले दर्ज किए हैं, जिनमें राज्य की सहमति नहीं ली गई।

सीबीआई की वैधता दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम 1946 से ली गई है। बाद में सीबीआई का अधिकार क्षेत्र पूरे देश में बढ़ा दिया गया।

धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण पाने की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार हैं।

कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत धारा 125 के तहत धर्मनिरपेक्ष वैधानिक प्रावधान को समाप्त नहीं किया जा सकता।

एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला देश में समान स्थिति वाली अन्य महिलाओं को उपलब्ध भरण-पोषण के सभी अधिकारों की हकदार है।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक अलग लेकिन समवर्ती निर्णय में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करने वाली तलाकशुदा पत्नी को बरकरार रखा गया था।

अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

1986 के मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 3 के अनुसार, मुस्लिम महिला को उसके पूर्व पति द्वारा केवल इद्दत की अवधि के दौरान भरण-पोषण का भुगतान किया जा सकता है।

इद्दत तलाक के बाद तीन महीने की अवधि होती है।

इद्दत अवधि के दौरान तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती है, इद्दत के बाद वह मुस्लिम कानूनों के अनुसार दोबारा शादी कर सकती है।

इसके तहत बच्चों को भरण-पोषण देने का प्रावधान केवल दो साल के लिए है।

सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार, "किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होने पर अपनी पत्नी" या "अपने वैध या नाजायज नाबालिग बच्चे" का भरण-पोषण करने का दायित्व है, यदि वे स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

भाजपा ने एक बयान में फैसले को सही ठहराया है।

'पुरुषों को अपनी पत्नियों को सशक्त बनाने के लिए धन साझा करना चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागराथा ने बुधवार को दिए आदेश में कहा कि पुरुषों को अपनी 'गृहिणी' पत्नियों के साथ अपने वित्तीय संसाधन साझा करने चाहिए, जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।

"एक भारतीय पुरुष को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए कि वह अपनी पत्नी को, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराकर, विशेष रूप से उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए, दूसरे शब्दों में उसके वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके उसे आर्थिक रूप से सशक्त और सहायता प्रदान कर सकता है।"

उन्होंने कहा, "एक पत्नी जिसे गृहिणी कहा जाता है, वह अपने परिवार के कल्याण के लिए दिन भर काम करती है और बदले में शायद प्यार और स्नेह, अपने पति और उसके परिवार के लिए आराम और सम्मान की भावना के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं करती है।

जो उसकी भावनात्मक सुरक्षा के लिए हैं। कुछ घरों में इसकी कमी भी हो सकती है।"

जाति के आधार पर जेल में भेदभाव और अलगाव समाप्त होना चाहिए, सीजेआई ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्यों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कहने का इरादा रखता है ताकि उनके जेल मैनुअल में सुधार हो और जेलों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म किया जा सके।

याचिकाकर्ताओं ने कई राज्यों का हवाला दिया था, जहां विभिन्न जाति समूहों के लिए अलग-अलग काम हैं। यहां तक कि अलग-अलग आवास की भी व्यवस्था की गई थी।

इससे पहले कोर्ट ने पाया था कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित 10 से अधिक राज्यों के जेल समूहों में अभी भी ऐसे प्रावधान हैं, जो जेल में जाति के आधार पर जबरन श्रम कराने की अनुमति देते हैं।

अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ ने एफसीआरए पंजीकरण खो दिया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (सीएफएस) की मूल इकाई का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिया।

सीएफए वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, विकास, मानवाधिकार और पर्यावरण पर उनके प्रभाव की निगरानी और आलोचनात्मक विश्लेषण करता है।

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इसने गुजरात के कच्छ में अडानी एसईजेड परियोजना से पर्यावरण को हुए नुकसान का हवाला दिया है। एनजीओ ने कहा कि वह काम करने के दूसरे तरीके खोजेगा और लाइसेंस रद्द होने के झंझट में नहीं फंसेगा। .

पहली बार, बिहार में तीन ट्रांसजेंडर पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया

राज्य के इतिहास में पहली बार बिहार पुलिस में तीन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

उन्नाव जिले में एक्सप्रेसवे पर बिहार की बस ने दूध के टैंकर को टक्कर मारी, 18 की मौत, 12 घायल

उन्नाव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस को दूध के टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। मृतकों में से अधिकांश बिहार के सिहोर जिले के थे।

आईटीबीपी ने चीन सीमा के पास 108 किलो सोने के बिस्कुट जब्त किए

यह पहली बार था कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तस्करी पकड़ी गई।

आईटीबीपी ने इस क्षेत्र में तस्करी को रोकने के लिए जज्बा नामक अभियान शुरू किया था।

विश्व :

इज़राइली सेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए गाजा शहर के निवासियों से शहर खाली करने को कहा

इज़राइली सेना ने बुधवार को गाजा शहर पर हज़ारों पर्चे गिराए, जिसमें सभी नागरिकों से भारी हमले से बचने का आग्रह किया गया, जिसने घेरे हुए फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के मुख्य शहर को हिलाकर रख दिया है।

“गाजा शहर में सभी” को संबोधित इन पर्चों में दक्षिण की ओर भागने के लिए निर्दिष्ट मार्ग बताए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि शहरी क्षेत्र, जो पहले पाँच लाख से अधिक लोगों का घर था, “खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा”।

इस बीच, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में संघर्ष विराम वार्ता फिर से शुरू करने के लिए इज़राइली प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुँच गया है।

म्यांमार के विद्रोही समूह ने चीन सीमा से सटे शहर पर कब्ज़ा किया

म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूह ने शान राज्य से चीन जाने वाले एक प्रमुख राजमार्ग पर कब्ज़ा कर लिया है। सैन्य जुंटा और सशस्त्र समूह के बीच कई दिनों से भीषण लड़ाई चल रही थी।

तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी (TNLA) ने नौगचो नामक एक प्रमुख शहर पर भी कब्जा कर लिया है।

यह शहर राजमार्ग से लगभग 50 किमी दूर है।

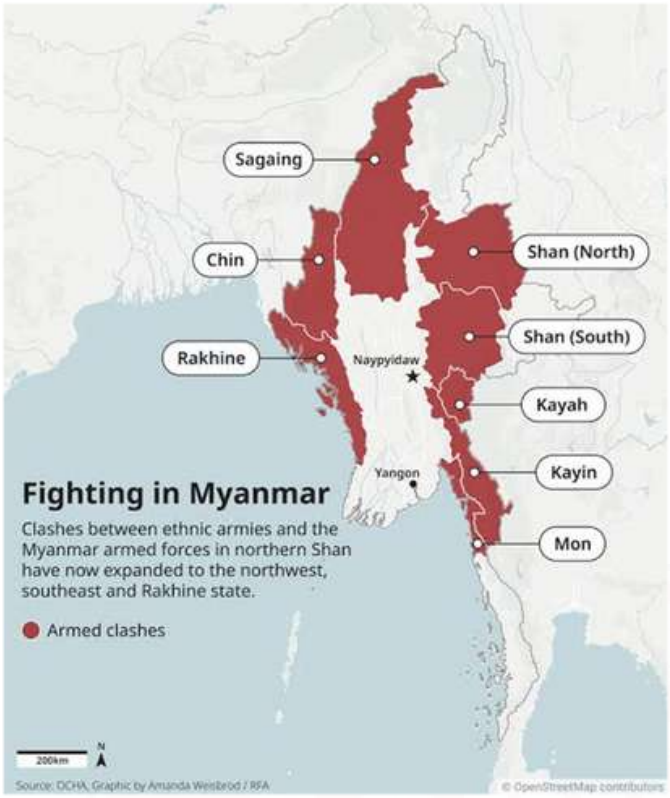

छात्रों के विरोध के बाद बांग्लादेश ने नौकरी में आरक्षण को निलंबित कर दिया

बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने हजारों छात्रों द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकारी नौकरी में कोटा निलंबित कर दिया है।

बांग्लादेश में आधे से अधिक सीटें युद्ध नायकों सहित विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

30% सीटें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

10% महिलाओं के लिए और 10% विशिष्ट जिलों के निवासियों के लिए।

छात्र मांग कर रहे हैं कि केवल जातीय अल्पसंख्यक विकलांगों के लिए कोटा बना रहना चाहिए। इससे 6% आरक्षण होगा।

विज्ञान : ———————————

भारत महाराष्ट्र में 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है?

कराड, महाराष्ट्र में बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (बीजीआरएल) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक विशेष संस्थान है, जिसे भारत के एकमात्र वैज्ञानिक ड्रिलिंग कार्यक्रम के लिए अधिकृत किया गया है।

बीजीआरएल के तहत पृथ्वी की सतह को 6 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करना और महाराष्ट्र के कोयना वर्ण क्षेत्र में जलाशय से उत्पन्न भूकंप को समझने में मदद करने के लिए अध्ययन करना है।

जलाशय से उत्पन्न भूकंप छोटे प्रकार के होते हैं और उनकी भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है।

संघर्ष में उलझे

राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को टकराव से पीछे हटना चाहिए

संपादकीय पश्चिम बंगाल में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के बारे में है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

राज्यपाल के खिलाफ राजभवन की एक कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर बयान देते समय दो पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों से राज्यपाल व्यथित बताए जा रहे हैं।

श्री बोस को अनुच्छेद 361 के तहत कार्यवाही से छूट प्राप्त है।

राज्यपाल को अनुच्छेद 167 के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।

यहां तक कि विषम नौकरियां

गिग श्रमिकों को उनके कर्मचारी की स्थिति पर एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है

संपादकीय में कर्नाटक सरकार द्वारा गिग श्रमिकों पर मसौदा कानून के बारे में बताया गया है।

आगामी विधानसभा सत्र में पारित होने वाले कानून में मनमाने ढंग से बर्खास्तगी को रोकने, मानवीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने और खुली पेचीदा निगरानी प्रणाली को अधिक पारदर्शिता प्रदान करने का प्रावधान है।

इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कल्याण बोर्ड और कोष भी बनाया जाएगा।

राज्य सरकार और एग्रीगेटर द्वारा कोष में योगदान दिया जाएगा, या तो हर लेनदेन पर कटौती के माध्यम से या राज्य में एग्रीगेटर की आय का एक प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।

इन लाभों को पाने के लिए हर गिग वर्कर को सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

फिर भी गिग वर्करों को "कर्मचारी" का दर्जा नहीं मिलेगा।

संपादकीय में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर न केवल न्यूनतम मजदूरी, उचित कार्य घंटे, मजबूत सामाजिक सुरक्षा की स्थिति तय करने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें 'कर्मचारी' का दर्जा भी दिया जाना चाहिए।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

New Batch For

BPSC

FOUNDATION/TARGET

Starting From 15th July 2024

- Online & Offline Batches
- Separate Batch For English & Hindi Medium

ENQUIRE NOW

CALL/WHATSAPP :
+91-84349 31877, +91-72506 67974

ADDRESS:

Achievers' IAS Academy, Ground & Second Floor,
Orchid Mall, Boring Road (Opp: A.N. College) Patna 800001

www.achieversiaspatna.co.in

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

New Batch For

70th BPSC

MODERN INDIA/ FREEDOM STRUGGLE.

Starting From 15th July 2024

- Online & Offline Batches
- Separate Batch For English & Hindi Medium

Fee: 2500/-

ENQUIRE NOW

+91-84349 31877, +91-72506 67974

www.achieversiaspatna.co.in

Achievers' IAS Academy, Ground & Second Floor,Orchid Mall, Boring Road (Opp: A.N. College) Patna 800001